प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
खेरवाड़ा जिला उदयपुर।

विषय :– राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम गुड़ा में – की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 खाता संख्या 45

मुज प्रार्थिया का नाम कालुजी पिता बदाजी दर्ज है मेरा सही नाम कालाजी है आधार कार्ड सरकारी दस्तावेज मेरा सही नाम कालाजी ही दर्ज है। मेरा नाम राजस्व खाते में दर्ज करते समय ~~कला~~ लिपिकीय त्रुटि की वजह से राजस्व रेकार्ड मे गलत नाम दर्ज हो गया है। खाते मे मेरा वास्तविक नाम का अंकित रखे है।

अतः श्रीमानजी मेरा नाम दुरस्त कराने का कष्ट करे

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

कालाजी
प्रार्थी

....

दिनांक :

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य सही है। ग्राम गुडा की खाता संख्या 45 मे प्रार्थी का नाम कालु दर्ज है जबकि प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजों मे सही नाम कालाजी पिता बदाजी दर्ज है। खाते मे दर्ज प्रार्थी के नाम का विरूद्ध या अशुद्ध है अतः ग्राम गुडा की खा.सं. 45 मे दर्ज नाम कालु के बजाय सही इन्द्राज कालाजी दर्ज किया जाना उचित है।

I.L.R. [illegible]

पटवारी ... गुडा
तह. नयागांव, जि. उदयपुर (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार, नयागांव

भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार ग्राम गुडा की जमाबंदी के खा.सं. 45 मे अंकित खातेदार का नाम कालु पुत्र बदा के बजाय कालाजी पुत्र बदाजी दुरुस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार नयागांव
जिला उदयपुर (राज.)

आदेश

तहसीलदार नयागांव की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गुडा के खाता सं. 45 में अंकित कालु पुत्र बदा के बजाय कालाजी पुत्र बदाजी के नाम की शुद्धि किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किये जाने बाबत तहसीलदार नयागांव को लिखा जावे

उपखण्ड अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान......गुडा......

–:आदेश:–

प्रार्थी के **"खाता दुरुस्ती"** प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ......गुडा...... व भू.अ.नि. ......पादिया...... की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार ~~सालावर~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ......गुडा......तहसील नयागांव जिला उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् ......2025-28...... में खाता संख्या ......45...... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गुडा	45	कालु पुत्र बदा	कालाजी पुत्र बदाजी

( )

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा

कमांक :– 2/प्रस्त/2021/213 दिनांक :– 16.11.2021.

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, नयागांव को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ——————————————को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा